फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री कानसिंह पुत्र श्री डाउ सिंह, निवासी समेलिया, तह0 भीम जिला राजसमंद

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 15/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 05.03.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लो0सू0 अधिकारी जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक :– सू.का अधि0/2019–20/409–410 दिनांक 20.02.2020 से रिपोर्ट प्रेषित होकर प्राप्त हुई हैं। लो0सू0 अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री कानसिंह पुंत्र श्री डाउ सिंह, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया हैं। आवेदन के क्रम में अपीलार्थी स्वयं से भी दूरभाष पर वार्ता कर अवगत कराया गया था कि आप द्वारा किया गया आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ हैं एवं अपील के साथ जो आवेदन प्राप्त हुआ उसमें भी सूचना किस क्षैत्र के संबंध में चाही गई थी, अंकित नही किया गया था। इस पर अपीलार्थी स्वयं ने अन्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कथन किया था। अपीलार्थी को दुरभाष पर अवगत करा दिया गया था कि जो भी सूचना आप चाहते हैं। उस क्रम में आवेदन में स्पष्ट अंकित कर कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि आपको सूचना उपलब्ध कराई जा सकें। कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नही हुआ हैं। लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा कार्यालय जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत नही किये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)